संशोधन

संख्या-50 /2016/1734/38-4-16-18(बजट)/2015

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 30 नवम्बर, 2016**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वितीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(के0-60:रा0-40) सहित धनराशि की वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1336/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा/2016-17 दिनांक-28 नवम्बर,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय स्वीकृति के आदेश संख्या- 45/2016/1527/38-4-16-18(बजट)/ 2015 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 के बिन्दु सं0 (3) में "नये प्रधानमंत्री आवासों " के स्थान पर टंकण त्रुटिवश "नये इन्दिरा आवासों" टंकित हो गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि उक्त शासनादेश में **"नये इन्दिरा आवासों"** के स्थान पर **"नये प्रधानमंत्री आवासों "** पढा जाय। शेष आदेश यथावत रहेगें।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-50/2016/1734(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in